क्रम-संख्या—778

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—4)

(लाइसेन्सशुदा पोस्ट विदाउट पेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

-(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 15 अक्तूबर, 1988

आश्विन 23, 1910 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1930/सत्रह—वि0-1-1-(क)—16-1988

लखनऊ, 15 अक्टूबर, 1988

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 15 अक्टूबर, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1988

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1988)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

(2) यह 17 अगस्त, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "30 सितम्बर, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 1930(2)/XVII-V-1—1(KA)16-88

Dated Lucknow; October 15, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zila Parishad (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 20 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 15, 1988.

THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAWASTHA) (DWITIYA SANSODHAN) ADHINIYAM, 1988

(U.P. Act no. 20 of 1988)

[As passed by the U. P. Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977

It is hereby enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 1988.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 17, 1988.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) Adhiniyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words and figures "30th day of September, 1988" the words and figures "31st day of December, 1988" shall be *substituted*.

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyawastha) (Sanshodhan) Adhyadesh, 1988, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act, as if this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 121 सा0 विधा0—(1789)—17-10-88—1988—850 (मेक)